

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 234 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 333

दायर दिनांक :- 27.09.2024

निर्णय दिनांक :- 22.12.2024

01. समरदीन पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी रमजानपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

02. अयुब पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी रमजानपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

01. बधी पुत्री अकबर खां जाति सिपाही निवासी हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी

02. खेरदीन पुत्र अकबर खां जाति सिपाही निवासी रमजानपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

03. गजरा पत्नी फुसाराम जाति मेघवाल निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला फलोदी

04. चेनी पत्नी हरूराम जाति मेघवाल निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला फलोदी

05. छगनाराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला फलोदी

06. सेठाराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला फलोदी

07. फगलूराम पुत्र शंकराराम जाति मेघवाल निवासी बधाउड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

08. लीलाराम पुत्र शंकराराम जाति मेघवाल निवासी बधाउड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

09. रतनाराम पुत्र मनसुख जाति मेघवाल निवासी बैंगटीखुर्द तहसील फलोदी जिला फलोदी

10. लुणाराम पुत्र रामुराम जाति गुरड़ा निवासी बधाउड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

11. पूजा जैन पत्नी कमल जैन जाति जैन निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी

12. शाखा प्रबन्धक शाखा यूको बैंक बाप तहसील बाप जिला फलोदी

13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-1. श्री पप्पूराम मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 343 रकबा 3.9012 हैक्टेयर सरहद मौजा रमजानपुरा पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त खसरा की पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 31.05.2023 को जारी आदेश क्रमांक संख्या 115 की पालना में दिनांक 05.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर पैमाईश कर मौका फर्द तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान् को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिन्ह कायम किये गये। उक्त सीमा चिन्हों के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल घास पाला अदि की सुरक्षा के लिए पत्थर

सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

की पटिट्या रोपकर बाड़ तारबदी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 द्वारा व्यवधान पैदाकार प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 05.06.2023 के माफिक सीमा पर पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि गांव रमजानपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 343 रकबा 3.9012 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने हिरसे पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 05.06.2023 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि गांव रमजानपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 343 रकबा 3.9012 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसिलए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 05.06.2023 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि गांव रमजानपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 343 रकबा 3.9012 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 05.06.2023 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (सुधारक पिकेटर R.A.S.)  
बाप (फलोदी) एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)